UPLK010019492024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 944 / 2024

सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह आदि

अ0सं0 350 / 2023
धारा–147,323,504 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–माल, लखनऊ।

16–06–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, अंशू सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमार मौर्या व शुभम मौर्या मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 323, 504 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 13.08.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010019492024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 944 / 2024

सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह आदि

अ0सं0 350 / 2023
धारा–147,323,504 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–माल, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, अंशू सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमार मौर्या व शुभम मौर्या को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 17.11.2023 समय अदम तहरीर थाना माल जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम आंट गढ़ी सौरा में आप अभियुक्तगणराजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, अंशू सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमार मौर्या व शुभम मौर्या द्वारा एक विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और उस जमाव ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सामान्य आशय से बल्वा किया, इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, अंशू सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमार मौर्या व शुभम मौर्या द्वारा वादी मुकदमा राम विलास को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, अंशू सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमार मौर्या व शुभम मौर्या द्वारा वादी मुकदमा राम विलास को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, अंशू सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमार मौर्या व शुभम मौर्या द्वारा वादी मुकदमा राम विलास को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, अंशू सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमार मौर्या व शुभम मौर्या द्वारा वादी मुकदमा राम विलास जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, अंशू सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमार मौर्या व शुभम मौर्या ने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा राम विलास के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 16–06–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 16–06–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127